

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-५) विभाग

क्रमांक : प्र ।(16)।।प्र।५। २०२१

दिनांक ।। २।३

आदेश

विभाग के अधीन समरत विश्राम भवन, नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस व स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी सभी में विश्राम भवनों की हाउसकार्पिंग कार्य को सामग्री सहित (with material) "आउटसोर्स" करके "जॉब बेसिस" पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विश्राम भवनों के कमरों के अंदर की सफाई, बाथरूमों की सफाई, कमरों के बाहर संपूर्ण भवन व विश्राम भवन के संपूर्ण परिसर की सफाई, वागवानी संबंधी कार्य, अतिथियों का सामान उठाने-रखने (पोर्टर) संबंधी कार्य, सुरक्षा एवं पार्किंग रुचारू करने संबंधी कार्य, कमरों के अंदर लिनन, टॉवल आदि को निर्धारित अवधि में परिवर्तित करने संबंधी कार्य एवं संलग्न सूची में उल्लेखित समरत कार्यों को जॉब बेसिस पर करवाया जाना है।

इस हेतु समरत जिलों में स्थित विश्राम भवनों हेतु उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर उक्त जॉब बेस पर करवाये जाने वाले कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करने, निविदाओं में सामान्य प्रशासन विभाग से जोड़ी गयी न्यूनतम शर्तों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार शर्तें जोड़ने, विभाग द्वारा तथ किये गये जॉब चार्ट के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार और "जॉब" जोड़ने, निविदाओं का परीक्षण करने व स्वीकृत करने के संबंध में निम्न प्रकार कमेटी गठित की जाती है :-

1. जिला कल्कटर (अथवा उनके प्रतिनिधि जो ए.डी.एम. स्तर से कम न हो)
2. कोषाधिकारी
3. मैनेजर, सर्किट हाउस (सदस्य सचिव)

दिल्ली स्थित विश्राम भवनों हेतु उक्त कार्यों के लिए निम्न प्रकार से कमेटी
का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख आवासीय आयुक्त (अथवा उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त
आवासीय आयुक्त स्तर से कम न हो)
2. पे एण्ड अकाउंट ऑफिसर अथवा समकक्ष लेखाधिकारी
3. संबंधित विश्राम भवन के मैनेजर (सदस्य सचिव)

विभाग स्तर पर परिशिष्ट-I में न्यूनतम करवाये जाने वाले कार्यों को
अंकित कर दिया गया है। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य विभागीय सहमति के
उपरान्त जोड़े जा सकेंगे।

परिशिष्ट-II में प्रत्येक पारी में न्यूनतम उपस्थित रहने वाले
श्रमिकों/कुशल श्रमिकों की संख्या निर्धारित की गयी है, जो 20 कमरों के
विश्राम गृह के अनुपात में निर्धारित की है। प्रत्येक मैनेजर, विश्राम गृह अपने
विश्राम गृह से संबंधित उक्त अनुपात से न्यूनतम रहने वाले श्रमिकों की
संख्या निर्धारित कर संविदा में अंकित करें।

परिशिष्ट-III में न्यूनतम करवाये जाने वाले कार्यों व अपेक्षित सकाई
एव अन्य कार्यों की सूची विभाग स्तर से भिजवायी जा रही है। प्रत्येक
मैनेजर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य विभाग की पूर्व अनुमति लेकर जोड़
सकेंगे।

उक्त व्यवस्था को सकाम स्तर से आई.डी. संख्या F12006253 दिनांक
07.02.2013 CMO द्वारा अनुमति प्राप्त है।

मेरा ६७
चन्द्रमोहन मोणा
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक प.1(16)साप्र/5/2009

जयपुर दिनांक 11.2.13

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निम्नलिखित नाम, रोड नंबर, वाहन नंबर, राज्य, ज़िला।
2. संयुक्त सचिव, (वीपी) मुख्यमन्त्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ 12006253 दिनांक 07.02.2013 के क्रम में।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. समस्त ज़िला कलक्टर।
6. समस्त कोषधिकारी।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी सा.प्र. (ग्रुप-5)विभाग।
8. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सा. प्र. विभाग।
11. पत्रावली संख्या 1(4)सा.प्र./5/2012 में रखने हेतु।
12. राजित पत्रावली।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव

१- देंके आउट कम्पोज़िट व वर्गलग की सफाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश संख्या में -

卷之三

- स्वतं अदृष्टं जाता है।
 - शरावं लक्षितं प्रयोग सारे, योगी जो ज्ञानप्रयत्न की दी थाले, दूसरे चेतु जरे (दूसरे व्यापार) फल दूसरा फर्मन धरता है।
 - ज्ञानप्रयत्न ने कहोइ बहुत यात्रा की जनी ही मह दृष्टि गृही तो सुप्रापाइजर को काहाएँ। इच्छा सी. के जन्मा व्यापिक भगवा है। (व्यापिक भगवा से पहुँचे योगी ज्ञाना जार है)
 - ज्ञानप्रयत्न उत्तर जन दर्श के अन्दर आकर है, उत्तरालय इच्छाप्रयत्न की (उत्तरालय का नमरु जाक कहे)।
 - सारे जन इन नियमों पुराणामन कराते भी पहुँच हैं। यदि यानी के नियमण ही हों तो ओप इनियम जाप से ज्ञान करें।
 - दर्श, यात्री, नग व शास्त्र की भी हैं।
 - शास्त्र के छोड़ निकल जाए।
 - यात्राविद्वान् की भी है, यात्राविद्वान् के जन की दृष्टन चाहौ।
 - नग दर्शक की दृष्टियाँ की ही हैं।
 - हात्याकृत्या से कर्म सी. योगी साकृ फरी। उच्च्यु सी. तीव्र योगी दृष्टन से साकृ योगके काहायू करे। योग फरी की ज्ञानालय और जट सारा जन जार रहा हो व बीज व गो।
 - दर्श, यात्री, यानी नग, यात्राविद्वान् इच्छा सी. एव इच्छा योगीरां व दृष्टन की एक्षेय दाकल उत्तर नाम कर सूचा है।
 - वर्षी श्री नानक जरे। यात्राविद्वान् यानी योग दर्शक से सुखा है।
 - आप नार्दं वल दर्शकाम ही या हाउ वलका हो ही सुप्रापाइजर की वलती।
 - भवी पर्याप्त यात्रा, यात्राविद्वान् सुखा होना जाहिर।
 - लाइट एंट जरे।
 - दर्शायामा नंद कर है।

15

1. दौड़-पारिश, बैठेंगे यह उत्तराम सिंह कर।
 2. बरबाजी की पिटकरी, भाकर, वैष एवं हात-झूम आदि को उत्तराम सिंह कर।
 3. घटने वाले उत्तराम की बातों को बोलिना (अवश्य) थिक कर।
 4. अची, दीक व लकड़ायी से उत्तराम कर।
 5. उत्तराम दीन ही दीक व लकड़ायी के बरबाजी असाम के जुलाम ही।
 6. और चूर्णपूर छील खोजिनाम ने हो, नुक्क ना हो।
 7. बरबाजी के जाया न हो, करी भाकर के जो हो।

10

- दरवाजे तो पूछँ**

 - पान एवं दाढ़ी लगाने वेक करें।
 - सीधा लगा हुआ होना चाहिए।
 - पान का लीनेवाला बैक या बट्टा हुआ नहीं रहे।
 - एकल लड्डू तो दरवाजा हो।
 - इन्साइट/इंसिट/स्प्रिंग बारिं ग्रीन से लगे हों।

मौजूदे, स्कॉटिंग, खत्ता, कार्पर

 - स्कॉटिंग करने, रोकने तो पर्याप्त, डाक द्वारा नवाचार के लिए उच्चतम प्रेम करें।
 - स्कॉटिंग के लकड़ निटों को बोलो तो लकड़ से शाड दे अथवा स्प्रिंग के पानी से भूल राखें।
 - जाले के लिए थोक करें - बोराव, जाली, दरवाजे, घोंगे, फलतार, शोरें, वैक, द्रुपदलाल, फिल्डली व दरवाजों की बोराव, दिलाकर तो योग दें तो नीचे लगाने आसान हो। यहाँ 95% नीचे लगाने जल्दी रहें।
 - दीवार पर रखने अपराध हो गया को लगाने की मात्रा और उच्चतम तरफ तो हो।
 - बेंद के दोहरे ताल के निशान की सहाइता का गिरावंत रूप से छाता लगान रहें।
 - गर्भ पानी से पोता जानाने से सबूत बदली निकलता है। अगर बदन (बोल) निटों को तो छोड़ दें।
 - खड़ा बाल लें कि गुरुआ या ज्ञानी निषुद्ध हुआ लगान न चाहिए। एक को पानी से नहीं, पर ज्ञानी रमन से जुड़ाकरण प्राप्त करें।
 - बैंड बैंट द्वारा दोमार (बोल) निषुद्ध हो जाना कठीन न रहें।

(5)

२०. निम्नों विषय के लिए समाज और राष्ट्रीय शक्ति की
सेवा करने के लिए अधिकार उपलब्ध करायें।

क्रम	विषय का नाम	मात्र २०२२ में		मात्र २०२३ में बदल		मात्र २०२४ में बदल	
		प्रति ५०० रुपये	प्रति ५०० रुपये	प्रति ५०० रुपये	प्रति ५०० रुपये	प्रति ५०० रुपये	प्रति ५०० रुपये
		क्रमी शब्द	प्रतिशत	क्रमी शब्द	प्रतिशत	क्रमी शब्द	प्रतिशत
१.	कर्तव्य (अनुशासन)	०५	०३	०१	०१	०१	०१
२.	साकाही लकी (अनुशासन)	०१	०१	०१	०१	०१	०१
३.	सुरक्षा लकी (अनुशासन)	०१	०१	०१	०१	०१	०१
४.	मालाना (प्रशासन)	०२	—	—	—	—	—
५.	इन्हें लाल रुपये इलावा दिया जाना (कुट्टन)	०१	—	—	—	—	—
	कुल शाखाएँ	०८	००	००	००	००	००

- I. समस्त कमरों के डाईंग, बेड, ब्रेसिंग व बाथरूम की पूर्णलेपण साफ-सफाई का कार्य
 I. कमरा रिक्त होने की स्थिति प्राप्त होने पर सर्वप्रथम हाउस कौपिंग स्टोफ़ कमरे में जाकर उत्तमता सफाई ड्रेसिंग, ब्रीफिंग, नैपिंग इत्यादि (डाईंग, बेड, ड्रेसिंग व बाथरूम की पूर्णलेपण साफ-सफाई का कार्य) करें व समस्त उपयोग में स्थिर १५ सीन्ट ग्रेड शीट्स, बेड कवर, पिला कवर, टॉबल जादि की हटा दें। सफाई कार्य के दौरान आवश्यक इक्वाप्मेंट जैसे बैक्यूम फ्लीनर, बेट-डाइ-नीप एवं आवश्यक ब्लोनिंग एजेंट जैसे प्रदूषक फुट/बाथरूम की सूखा, स्वच्छ सब गवर्सहित होना सुनिश्चित करते हुए कमरे/बाथरूम की सूखा, स्वच्छ सब गवर्सहित होना सुनिश्चित करना।
- II. कमर/बाथरूम में समस्त चिह्नकी, दरवाजे आवासी, मिल, फनीचर, टेलीफोन एवं समस्त विद्युत उपकरण (टेली लाईट, पर्स, टी.वी., लैप, एण्टी इत्यादि), पर्फैं इत्यादि की पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित की जावे ताकि कहीं भी ड्रेट दाग-धब्ब नज़र नहीं आए। योद कोई टूट-फूट घराब्दी एवं तात्पात्र स्पागत केवल पर रिपोर्ट करें।
- III. हस्तक उपरात पुनः बुल हुए लौनम लगाए जावे।
- IV. बाथरूम में टॉपलेट/लिकिव्ह सोप आवासेन, टीथस्ट ऐप्रेंस रेस आदि लगाएं।
- V. इस घरकार कमरा युक्त नए लुक में तैयार करते हुए एक बार निशेहण कर यह सुनिश्चित करे कि जारी में कहीं कोई कमी न हो, रामरत लौनम उपयुक्त तरीके से लग हा तथा सबसे विद्युत चुपकरण ऊपर प्रकार से कार्य कर रह हो।
- VI. जहीं कहीं भी दरवाजे चिह्नकियों को हैम्फ्रेस चिट्ठिकी एवेन्यू भास/क्रोम आदि के सने हुए ही उन्ह ग्रासों दरवाजों आदि पीलिश का लघ्ययोग करे ताकि उनकी चमक बरकरार रहे।
- VII. अन्त में रस फिरान्व का इस्तेमाल करे पुनः कलाकर देस इत्यादि लगाने हुए आकर्षक बनाए।

VIII. उपरोक्त प्रकार से ही खाली कमरों की भी नियमित रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

IX. माह विशेष में कम से कम दो बार समस्त कमरों का स्प्रिंग ब्लीनिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

2. I. कॉमन डाईंग हॉल, स्वागतकांड, कार्यालय, बरामदे व समस्त पब्लिक एरिया इत्यादी की नियमित रूप से सफाई का चार्य करना आवश्यक होगा ; इस कम में प्रातः एवं दोपहर बाद रवीपिंग व बेट मोपिंग कार्य करना अनिवार्य होगा । इसके बाद प्रत्येक दो घण्टे के अंतराल अथवा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल भी बेट/डाई मोप का अभ्यास करना होगा व समस्त एरिया रवच्छ एवं साफ-सुधार रहे यह सुनिश्चित करना होगा ।

II. जहाँ कहीं भी दरवाजे खिड़कियों के हैन्डल, डिटॉक्नी, प्लेट्स ब्रास/कौन आदि के लगे हुए हो उन्हें ब्रासो, टैंसजो आदि पॉलिश का उपयोग करके ताजे उपकरण कम करके बरकरार रहे ।

3. डायनिंग हॉल की सफाई का कार्य ब्रेकफास्ट प्रारम्भ होने से आधे घण्टे पूर्व ही शुरून करना सुनिश्चित करके ताकि डायनिंग हॉल में आष्टुक अतिथियों ठीं किसी प्रकार का व्यवचान न हो । ब्रेकफास्ट तत्व व डिनर के निर्धारित समय के पश्चात शीघ्र पूरे डायनिंग हॉल वी प्रिस्तृत साफ-सफाई (रवीपिंग, मोपिंग, इस्टेंग, इत्यादी कार्य) करना आवश्यक होगा ।

4. सर्किंट हाउस परिसर की सपूर्ण सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी हाउस कोपिंग, एजेन्ट्सी वीं होनी जिनमें परिसर, रिप्लिक सड़कों की सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से कम से कम दो बार करना होगा एवं आवश्यकता होने पर इससे उधिक बार भी सफाई कार्य करना होगा । परिसर में कहीं भी अनावश्यक उपयोग से खाली पौधे व झाड़-झाड़ आदि रही हो वह भी सुनिश्चित करना होगा ।

5. सर्किंट हाउस के भाइन के अंदर जाहर तर्फे हुए समस्त छोंच की खिड़कियों दरवाजों, ऐमल, इत्यादी की दाकर की तरफ से भी नियमित तौर पर शफाई किया जाना आवश्यक होगा एवं माह में कम से कम दो बार विस्तृत शफाई कराना ।

अनिवार्य होगा। दीवार, छंजो, सिलिंग एवं अन्य समस्त स्थानों पर कहीं भी जाल/ गैरगी लगे हुए नहीं होने चाहिए।

6. सर्किंट हाउस के कमरों, डाईंग/डायनिंग हॉल, बैरिंग व बायरल, फिल्म-प्रेस्टी में पेस्ट कन्डोल का कार्य भी ऐंजेन्टी को करना होगा। ऐंजेन्टी को पिरोप तौर पर यह तुनिशिचत करना होगा कि उक्त समस्त स्थान छिपकली, घूँह, काकोच आदि से पूर्णतया मुक्त हो।
7. सर्किंट हाउस के समस्त स्थानों पर लगे हुए कलोच टाइल्स, मार्बल, ब्रनाईट, बोर्ड, कोटा स्टोन की समय-समय पर बिल्ड-पॉलिशिंग कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।

बागवानी कार्य का जोख चार्ट

वर्तमान में कुछ सर्किंट हाउसों ने लौन/गार्डन की स्थिती अच्छी है फिर भी कई सर्किंट हाउसों ने लौन/गार्डन या तो ही ही नहीं अथवा उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः जहाँ लौन नहीं है वहाँ नए तरीके से लौन/गार्डन लगाया जाए। लौन लगाने व उनका रखरखाव का कार्य बागवानी में अनुभव स्वतंत्र वाले ऐंजेन्टों के गाड़ियों से ही कराया जाए।

1. सर्किंट हाउस में सवधित प्रबन्धक की राय के अनुसार निर्धारित स्थान पर नई मिट्टी, खाद इत्यादी जालकर लौन विकसीत करना होगा।
2. लौन में क्यारियां बनाकर भौसाली कूलों के पीछे लगाने का कार्य करना होगा।
3. सर्किंट हाउस में संबंधित प्रबन्धक उस राय के अनुसार लौन/गार्डन के कुछ हिस्सों में रुपाई डेकोरेटिव लैन जॉनोमेन्टल प्लान्ट्स लगाना होगा।
4. सर्किंट हाउस में विभिन्न स्थानों परीस डाईंग-डायनिंग हॉल, रिसेप्शन, कार्यालय, ब्रान्डे इत्यादी स्थानों पर गमलों में जॉनोमेन्टल, डेकोरेटिव प्लान्ट्स लगाना व उनका रख रखाय कार्य करना होगा।
5. लौन में अवशकतानुसार समय समय पर धास की भरीन से जटिन, निराई-गुडाई, सिंचाई, पांचों ने चानों देते हुए गार्डन/लौन को आकर्षक बनाना होगा।
6. आवश्यकतानुसार हेज विकसीत करना व उनकी कर्टिंग/रखरखाव का कार्य करना होगा।
7. परिसर में बागवानी का कार्य इस प्रकार से किया जाएगा जिससे होशा-नीसभी कूल खिले नजर आए एवं पीछे लौन आदि आगतुकों को आकर्षक लगे।